फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती टमुबाई **विपक्षी :– श्री चमनलाल**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 9 जा.दी. **पत्रावली संख्या : 07/20**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.12.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प मोरठ में पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल वाद सं. 49ए/15 को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 49ए/15 अनवान टमुबाई बनाम चमनलाल दिनांक 06.02.2020 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। वादी की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी में खारिज हो चुका हैं। जिसे नम्बर पर लेने के लिए वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं। चूंकि प्रकरण में वादी का हित निहित हैं। प्रकरण में पेशी दिनांक की जानकारी रखना वादी का दायित्व हैं। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादी की भूल समझा जा सके। फिर भी वादी का वाद में हित होने से न्यायहित में कोस्ट पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का 100/– अक्षरे एक सौ रूपयें की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 49ए/15 अनवान टमुबाई बनाम चमनलाल में आदेश दिनांक 06.02.2020 को अपास्त किया जाता हैं तथा मूल वाद को नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की रसीद प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(मयंक मनीष I.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(FT) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Mayank Manish Date: 2022.01.18 19:45:18 IST Reason: SelfAttested	